भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1009

उत्तर देने की तारीख 10 फरवरी, 2025

सोमवार, 21 माघ 1946 (शक)

विदेश में नियुक्ति के अवसरों के लिए कौशल विकास

1009. श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्तमान में व्यक्तियों को विदेश में नियुक्ति के अवसर प्राप्त करने के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली कोई योजना क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की राज्यवार और वर्षवार संख्या कितनी है;

(ग) नियुक्त व्यक्तियों की संख्या का देशवार, राज्यवार और वर्षवार वर्गीकरण ब्यौरा क्या है;

(घ) अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण और नियुक्ति के लिए आवंटित, वितरित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त अवसरों का लाभ उठाने के लिए व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना तथा पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल उन्नयन और पुनः कौशल विकास प्रदान करना है। पीएमकेवीवाई के माध्यम से व्यक्ति अपने अर्जित कौशल और प्रमाण-पत्रों के आधार पर घरेलू और विदेशी दोनों ही स्थानों पर नियोजन के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, प्रारम्भ से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक कुल 1.60 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है। पीएमकेवीवाई योजना के तीन संस्करणों पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत 56.88 लाख एसटीटी और आरपीएल प्रमाणित उम्मीदवारों को नियोजन के अवसर प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 24.37 लाख उम्मीदवारों को

नियोजन की सूचना दी गई है, जो लगभग 43% है। पीएमकेवीवाई के तहत, शुरुआत से लेकर 31.12.2024 तक 11,215.68 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिनमें से 10,513.13 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित/उन्मुखित और नियोजित उम्मीदवारों की संख्या का वर्षवार, राज्यवार और क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। पीएमकेवीवाई की राज्यवार वित्तीय प्रगति का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अलावा, विदेश मंत्रालय (एमईए) के आदर्श वाक्य 'सुरक्षित जाए, प्रशिक्षित जाए, विश्वास के साथ जाए' के मद्देनजर विदेश मंत्रालय ने 2018 में अपना प्रमुख कार्यक्रम, प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी) शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत, रोजगार के लिए विदेश जाने वाले प्रवासी को 8 घंटे का निःशुल्क अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि उन्हें रोजगार के देश में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनके अधिकारों और भारत सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए कल्याणकारी उपायों से अवगत कराया जा सके। वर्तमान में पूरे भारत में 49 पीडीओटी केंद्र हैं। अब तक 1,72,220 उम्मीदवारों को पीडीओटी प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का राज्य-वार ब्यौरा तथा आवंटित/उपयोग की गई निधि, वित्तीय वर्ष-वार तथा पिछले वित्तीय-वर्षों के दौरान पीडीओटी शीर्ष के अंतर्गत बजट आबंटन का ब्यौरा **अनुबंध III** में दिया गया है।

(ङ) एमएसडीई ने रोज़गार मेलों और कौशल महोत्सवों जैसी पहलों के माध्यम से नियोजन के अवसरों को सुगम बनाया है, जिससे उम्मीदवारों को नियोक्ताओं से जोड़ा जा सके। 2018 से, 31.12.2024 तक 1,500 से अधिक ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें नौकरियों के लिए 2.89 लाख उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। एनएसक्यूएफ के साथ जुड़े नए-पुराने पाठ्यक्रमों में एआई, आईओटी, ड्रोन और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों को शामिल किया गया है, साथ ही ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) और रोजगार कौशल के माध्यम से रोजगार क्षमता में भी वृद्धि हुई है।

इसके अलावा, विदेश मंत्रालय द्वारा 2018 में प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (पीडीओटी) कार्यक्रम की शुरुआत के साथ, प्रवासियों को उनके गंतव्य देशों की संस्कृति, भाषा और नियमों के बारे में आवश्यक ज्ञान से लैस किया जाता है, जिससे उनकी सुरक्षा और विदेश में सुचारू एकीकरण सुनिश्चित होता है। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को भारतीय सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले कल्याणकारी उपायों अर्थात भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ), प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई), ई-माइग्रेट पोर्टल, मदद पोर्टल, प्रवासी भारतीय केंद्र (पीबीएसके), और भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में 24X7 हेल्पलाइन से भी परिचित कराता है।

अनुबंध-I

दिनांक 10.02.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1009 के भाग (क से घ) के उत्तर के संदर्भ में अनुबंध

क. पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर अब तक वर्षवार प्रशिक्षण और नियोजन विवरण:

वर्ष	प्रशिक्षित / उन्मुखीकृत	एसटीटी में नियोजित (आरंभ से पीएमकेवीवाई 3.0 तक)
2015-16	15,51,886	2,18,019
2016-17	6,55,569	35,556
2017-18	21,23,104	4,53,076
2018-19	20,40,206	7,04,220
2019-20	45,65,475	6,08,389
2020-21	19,60,776	2,16,102
2021-22	6,16,040	1,64,162
2022-23	2,11,170	38,054
2023-24	5,39,422	309
2024-25	17,69,433	-
योग	**1,60,33,081**	**24,37,887**

क. पीएमकेवीवाई के अंतर्गत एसटीटी और आरपीएल के तहत प्रशिक्षित/उन्मुखी की राज्य-वार संख्या, प्रारंभ से अब तक

क्रमांक	राज्य/यूटी	एसटीटी में प्रशिक्षित	आरपीएल में उन्मुखीकृत	कुल प्रशिक्षित
1	अंडमान व नीकोबार द्वीप समूह	4,271	1,160	5,431
2	आंध्र प्रदेश	3,69,429	1,51,593	5,21,022
3	अरुणाचल प्रदेश	50,896	46,317	97,213
4	असम	2,82,254	5,46,452	8,28,706
5	बिहार	4,87,450	2,53,828	7,41,278
6	चंडीगढ़	20,099	7,719	27,818
7	छत्तीसगढ	1,51,317	51,565	2,02,882
8	दिल्ली	2,68,779	2,53,696	5,22,475
9	गोवा	4,382	6,102	10,484
10	गुजरात	2,38,979	2,30,083	4,69,062
11	हरियाणा	4,72,232	2,71,930	7,44,162
12	हिमाचल प्रदेश	1,17,210	53,291	1,70,501
13	जम्मू और कश्मीर	2,34,313	1,82,749	4,17,062

क्रमांक	राज्य/यूटी	एसटीटी में प्रशिक्षित	आरपीएल में उन्मुखीकृत	कुल प्रशिक्षित
14	झारखंड	1,52,940	1,57,132	3,10,072
15	कर्नाटक	2,81,795	2,92,389	5,74,184
16	केरल	1,18,563	1,53,581	2,72,144
17	लद्दाख	3,805	257	4,062
18	लक्षद्वीप	390		390
19	मध्य प्रदेश	8,42,497	3,31,462	11,73,959
20	महाराष्ट्र	4,30,844	8,85,039	13,15,883
21	मणिपुर	66,960	42,370	1,09,330
22	मेघालय	38,940	18,543	57,483
23	मिजोरम	33,660	8,058	41,718
24	नागालैंड	32,030	20,071	52,101
25	ओडिशा	2,46,332	3,51,842	5,98,174
26	पुदुचेरी	26,834	7,330	34,164
27	पंजाब	4,18,678	1,26,768	5,45,446
28	राजस्थान	7,42,192	6,28,187	13,70,379
29	सिक्किम	17,562	1,900	19,462
30	तमिलनाडु	4,98,882	3,69,561	8,68,443
31	तेलंगाना	3,05,398	1,50,307	4,55,705
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	7,551	4,291	11,842
33	त्रिपुरा	67,769	89,625	1,57,394
34	उत्तर प्रदेश	14,26,215	9,86,835	24,13,050
35	उत्तराखंड	1,72,745	74,659	2,47,404
36	पश्चिम बंगाल	4,13,745	2,28,451	6,42,196
	योग	**90,47,938**	**69,85,143**	**1,60,33,081**

ख. पीएमकेवीवाई (1.0, 2.0 और 3.0) के एसटीटी के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए राज्य-वार विवरण

क्रमांक	राज्य	पीएमकेवीवाई 1.0	पीएमकेवीवाई 2.0	पीएमकेवीवाई 3.0	कुल
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	124	0	124
2	आंध्र प्रदेश	18,629	91,589	1,422	1,11,640
3	अरुणाचल प्रदेश	88	13,288	638	14,014
4	असम	3,694	60,808	2,755	67,257
5	बिहार	12,047	1,12,993	2,815	1,27,855
6	चंडीगढ़	396	5,813	152	6,361

क्रमांक	राज्य	पीएमकेवीवाई 1.0	पीएमकेवीवाई 2.0	पीएमकेवीवाई 3.0	कुल
7	छत्तीसगढ	1,351	25,812	979	28,142
8	दिल्ली	5,244	72,455	650	78,349
9	गोवा	213	891	1	1,105
10	गुजरात	3,152	65,373	764	69,289
11	हरियाणा	8,278	1,49,424	1,279	1,58,981
12	हिमाचल प्रदेश	2,158	24,076	951	27,185
13	जम्मू और कश्मीर	274	51,309	2,073	53,656
14	झारखंड	1,855	26,748	858	29,461
15	कर्नाटक	13,877	58,960	1,388	74,225
16	केरल	1,487	24,099	799	26,385
17	लद्दाख	0	944	119	1,063
18	लक्षद्वीप		0	0	0
19	मध्य प्रदेश	22,709	1,94,858	4,278	2,21,845
20	महाराष्ट्र	10,844	69,061	1,045	80,950
21	मणिपुर	499	15,383	212	16,094
22	मेघालय	110	13,246	252	13,608
23	मिजोरम	93	9,291	298	9,682
24	नागालैंड	77	5,968	136	6,181
25	ओडिशा	10,430	59,736	900	71,066
26	पुदुचेरी	904	9,292	308	10,504
27	पंजाब	10,630	1,16,041	2,242	1,28,913
28	राजस्थान	13,224	1,69,875	2,919	1,86,018
29	सिक्किम	13	3,502	427	3,942
30	तमिलनाडु	44,752	1,23,880	3,704	1,72,336
31	तेलंगाना	20,923	90,315	1,729	1,12,967
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	207	2,578	32	2,817
33	त्रिपुरा	5,235	12,984	463	18,682
34	उत्तर प्रदेश	24,403	3,11,015	3,464	3,38,882
35	उत्तराखंड	1,180	50,655	762	52,597
36	पश्चिम बंगाल	14,320	99,189	2,202	1,15,711
	योग	**2,53,296**	**21,41,575**	**43,016**	**24,37,887**

ग. पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रारंभ से अब तक क्षेत्र-वार प्रशिक्षण और नियोजन विवरण:

क्षेत्र का नाम	प्रशिक्षित / उन्मुखीकृत	एसटीटी में नियोजित (आरंभ से पीएमकेवीवाई 3.0 तक)
एयरोस्पेस और एविएशन	18,756	1,514
कृषि	10,75,812	91,447
परिधान	14,36,332	4,20,613
ऑटोमोटिव	4,52,344	42,836
सौंदर्य और कल्याण	7,26,025	1,48,122
बीएफएसआई	1,86,765	45,802
पूंजीगत सामान	1,17,714	22,939
निर्माण	7,21,730	86,567
महानिदेशालय प्रशिक्षण	56,864	0
घरेलू कर्मचारी	1,91,861	10,273
इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर	18,05,841	4,07,374
खाद्य प्रसंस्करण	2,55,792	11,515
फर्नीचर और फिटिंग	2,04,773	8,616
रत्न और आभूषण	2,02,915	14,768
हरित नौकरियां	5,02,182	18,248
हस्तशिल्प और कालीन	4,91,454	8,315
स्वास्थ्य सेवा	4,27,283	70,929
हाइड्रोकार्बन	1,95,555	139
आईएएससी	1,10,920	0
बुनियादी ढांचा उपकरण	44,330	1,012
लोहा और इस्पात	95,961	16,315
आईटी-आईटीईएस	6,74,360	1,25,619
चमड़ा	2,71,778	38,863
जीवन विज्ञान	1,16,395	10,855
लॉजिस्टिक्स	9,12,933	2,04,465
प्रबंधन	6,44,614	33,953
मीडिया और मनोरंजन	7,38,224	39,627
खनन	1,35,159	7,728
पेंट और कोटिंग्स	43,353	0
विकलांग व्यक्ति	59,618	16,665
प्लंबिंग	1,67,013	18,381

बिजली	1,59,098	40,258
खुदरा	8,63,076	2,15,261
रबर	2,91,438	13,557
खेल	96,571	1,523
दूरसंचार	5,38,434	1,30,748
वस्त्र और हथकरघा	3,17,910	34,799
पर्यटन और आतिथ्य	6,81,898	78,241
योग	**1,60,33,081**	**24,37,887**

अनुबंध-II

दिनांक 10.02.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1009 के भाग (क से घ) के उत्तर के संदर्भ में अनुबंध

31.12.2024 तक पीएमकेवीवाई के लिए राज्य-वार वित्तीय प्रगति:

करोड़ रुपए में

क्रमांक	राज्य/यूटी	राज्य घटक(सीएसएसएम)		केंद्रीय घटक(सीएससीएम)	
		जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि	उपयोग की गई निधि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2.11	1.19		2.83
2	आंध्र प्रदेश	57.39	52.99		341.50
3	अरुणाचल प्रदेश	36.53	23.41		44.98
4	असम	58.60	52.32		321.50
5	बिहार	36.82	5.96		525.18
6	चंडीगढ़	10.33	6.93		S14.50
7	छत्तीसगढ	35.58	21.30		141.86
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	4.11	2.20		6.00
9	दिल्ली	35.32	26.26		335.64
10	गोवा	10.70	2.90	9,834.81	2.33
11	गुजरात	66.54	41.29		215.90
12	हरियाणा	38.54	22.73		512.29
13	हिमाचल प्रदेश	21.56	20.73		122.95
14	जम्मू और कश्मीर	33.05	29.48		277.95
15	झारखंड	29.60	28.02		154.92
16	कर्नाटक	45.47	34.87		299.94
17	केरल	34.58	29.84		117.01
18	लक्षद्वीप	-	-		1.86
19	लद्दाख	1.23	0.84		-
20	मध्य प्रदेश	37.61	34.09		808.56

क्रमांक	राज्य/यूटी	राज्य घटक(सीएसएसएम)		केंद्रीय घटक(सीएससीएम)	
		जारी निधि	उपयोग की गई निधि	जारी निधि	उपयोग की गई निधि
21	महाराष्ट्र	136.52	117.54		619.15
22	मणिपुर	42.42	42.42		58.60
23	मेघालय	32.88	32.88		28.42
24	मिजोरम	31.11	20.41		20.05
25	नागालैंड	43.05	42.04		21.25
26	ओडिशा	27.71	7.39		311.93
27	पुदुचेरी	11.58	11.14		21.20
28	पंजाब	81.85	76.80		415.42
29	राजस्थान	26.19	26.19		812.09
30	सिक्किम	5.64	5.64		15.56
31	तमिलनाडु	68.86	52.00		470.42
32	तेलंगाना	35.52	25.52		326.43
33	त्रिपुरा	25.74	24.06		71.45
34	उत्तर प्रदेश	115.21	103.66		1,411.71
35	उत्तराखंड	62.87	62.71		154.07
36	पश्चिम बंगाल	38.05	23.51		396.42
योग		**1,380.87**	**1,111.26**	**9,834.81***	**9,401.87**

* केंद्रीय घटक (सीएससीएम) के अंतर्गत राज्य-वार संवितरण का कोई प्रावधान नहीं है।

अनुबंध-III

दिनांक 10.02.2025 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1009 के भाग (क से घ) के उत्तर के संदर्भ में अनुबंध

पीडीओटी के तहत 31 दिसंबर 2024 तक प्रशिक्षित उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण:

* केंद्र के स्थान के आधार पर।

राज्य-वार	पीडीओटी के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या
1. महाराष्ट्र	1,08,351
2. दिल्ली	25,752
3. केरल	5,160
4. उत्तर प्रदेश	8,902
5. राजस्थान	4,129
6. तेलंगाना	3,610
7. बिहार	1,894
8. आंध्र प्रदेश	3,780
9. तमिलनाडु	2,274
10. पंजाब	1,445
11. कर्नाटक	914
12. पश्चिम बंगाल	668
13. ओडिशा	1,242
14. मध्य प्रदेश	0
15. कोई राज्य नहीं	4,099
योग	**1,72,220**

पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान पीडीओटी शीर्षक के अंतर्गत बजट आवंटन का विवरण:

वित्तीय वर्ष	बजट अनुदान(रुपए.)	पीडीओटी के लिए निधि जारी/उपयोग की गई (रुपए)
2017-18	50,00,000	0
2018-19	50,00,000	20,00,000
2019-20	3,00,00,000	40,14,000
2020-21	20,00,000	5,00,000
2021-22	2,00,00,000	0
2022-23	3,00,00,000	0
2023-24	3,00,00,000	79,77,000
2024-25	2,08,00,000	16,08,000

******